कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजियाबाद।

दिनॉक 25.06.2020

आदेश
(संख्या :– 244 /2020)

जनपद न्यायालय गाजियाबाद में बार एसोसिएशन के सदस्य श्री के0बी0सिंह, चैम्बर संख्या 473 निवासी गॉधीनगर गाजियाबाद तथा श्री प्रदीप सक्सैना चैम्बर संख्या 380 निवास स्थान न्यू शताब्दीपुरम गाजियाबाद के कोरोना पोजिटिव पाये जाने के सम्बन्ध में अध्यक्ष बार एसोसियेशन गाजियाबाद के द्वारा आख्या दिनॉकित 25.06.2020 प्रस्तुत की गई है। बार एसोसियेशन के अध्यक्ष के द्वारा अधिवक्तागण के चैम्बर परिसर एवं सम्पूर्ण न्यायालय परिसर के सैनैटाइजेशन एवं न्यायालय को पूर्ण रूप से बन्द किये जाने हेतु निवेदन किया गया है।

इस सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी को पत्र संख्या 1952/पन्द्रह गाजियाबाद दिनॉकित 25.06.2020 प्रेषित किया गया जिसके अनुपालन में मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद द्वारा अपने पत्रॉक मु0चि0अ0/कोविड–19/कोर्ट/2020/2540 दिनॉकित 25.06.2020 के द्वारा यह अवगत कराया गया है कि जनपद न्यायालय गाजियाबाद में बार एसोसिएशन के सदस्य श्री के0बी0सिंह, चैम्बर संख्या 473 निवासी गॉधीनगर गाजियाबाद तथा श्री प्रदीप सक्सैना चैम्बर संख्या 380 निवास स्थान न्यू शताब्दीपुरम गाजियाबाद के कोरोना पोजिटिव पाये जाने के कारण सम्पूर्ण जनपद न्यायालय परिक्षेत्र कन्टेन्मेन्ट जोन–2 में रखते हुए दिनॉक 24.06.2020 से आगामी 14 दिवस हेतु जनपद न्यायालय परिसर को सील करने एवं विधिक कार्य को स्थगित रखने की संस्तुति की गई है।

माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e Courts/ Allahabad Dated 03-06-2020 के बिन्दु संख्या 14 एवं 15 में निर्देशित किया गया है कि –

14– " Wherever any Court campus is covered under the containment Zone, such Court shall remain closed as per the resolutions of this Court dated 02-05-2020 read with the resolution of this Court dated 25-03-2020, till such time the concerned District Court or Outlying court continues to remain in Containment Zone. Thereafter, the present scheme shall apply. Necessary reports in this regard, be obtained by the District Judges from the District Administration, on regular basis.

15– " Where the District Administration/ CMO concerned is of the opinion that the District/ Outlying court campus should be closed for a particular period and / or the District Judge is of the opinion that the District Court/ Outlying court should be closed for particular period, then the District Court / Outlying Court may be closed for the said period and intimation mentioning the specific reason may be sent to Allahabad High Court."

तदनुसार जिला प्रशासन/मुख्य चिकित्साधिकारी की आख्या दिनॉकित 25.06.2020 के अनुसार जनपद न्यायालय परिक्षेत्र को कन्टेन्मेन्ट जोन–2 में रखने के कारण जिला प्रशासन की संस्तुति के आधार पर जनपद न्यायालय परिसर गाजियाबाद को तत्काल प्रभाव से सील किया जाना आवश्यक है।

मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद द्वारा दिनॉक 24.06.2020 से आगामी 14 दिवस हेतु जनपद न्यायालय परिसर को सील करने एवं विधिक कार्य को स्थगित करने की संस्तुति की गई है, परन्तु मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद का पत्र आज दिनॉक 25.06.2020 को सांय 4.30 बजे कार्यालय में प्राप्त हुआ है। जनपद न्यायालय द्वारा दिनॉक 24.06.2020 एवं 25.06.2020 को न्यायिक कार्य नियमित सम्पादित किया गया है। अतः जनपद न्यायालय गाजियाबाद दिनॉक 26.06.2020 से 14 दिन के लिए (दिनॉक 26.06.2020 से 09.07.2020 तक) बन्द किया जाता है।

न्यायालय परिसर के सम्पूर्ण सेनेटाईज हो जाने के उपरान्त एवं इस सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय गाजियाबाद की सेनेटाइज पूर्ण होने के उपरान्त प्राप्त आख्या के बाद जनपद न्यायालय खोला जायेगा।

जिलाधिकारी गाजियाबाद, मुख्य चिकित्साधिकारी गाजियाबाद एवं नगर आयुक्त नगर निगम गाजियाबाद को सम्पूर्ण न्यायालय परिसर, न्यायालय भवनों एवॅ अधिवक्तागण के चैम्बर्स से सम्बन्धित सभी परिसर आदि की पूर्णतया साफ–सफाई, सेनेटाईजेशन हेतु अलग से पत्र प्रेषित किया जाये। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचना प्रेषित की जावे।

सभी सम्बन्धित सूचित हो।

25.06.2020

प्रभारी जनपद न्यायाधीश
गाजियाबाद।

District Judge
Ghaziabad